Regd. No. CHD/0093/2015-2017

Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 35-2017/Ext.] CHANDIGARH, SATURDAY, FEBRUARY 25, 2017 (PHALGUNA 6, 1938 SAKA

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT
Notification
The 25th February, 2017

No. 4-HLA of 2017/6.- The Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Validation) Bill, 2014, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:-

Bill No. 4 – HLA of 2017

THE PUNJAB SCHEDULED ROADS AND CONTROLLED AREAS RESTRICTION OF UNREGULATED DEVELOPMENT (HARYANA AMENDMENT) BILL, 2017

A

BILL

further to amend the Punjab Scheduled Roads And Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 in its application to the State of Haryana.

BE it enacted by of the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Act, 2017. Short title.

2. For Sub Section (1) of Section 12C of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963, the following sub-section shall be substituted, namely:- Amendment of Section 12C of Punjab Act 41 of 1963.

"(1) The Government shall, by notification, constitute a Tribunal consisting of a Chairman, who shall be retired judge of the High Court and two other members, of whom one shall be of the rank of Chief Engineer, having special knowledge about roads and highways and the other member shall be a professional from the fields like Law, Town Planning, Industry, Management or such other field, as may be decided by the Government. If the members of the Tribunal are divided over some issue, the decision of the Chairman shall prevail.".

Repeal and saving.

3. (1) The Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Ordinance, 2016 (Haryana Ordinance No. 5 of 2016) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act, as amendment by the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the Principal Act, as amended by this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 under Section 12 C(1) of the Act, 1963, The Tribunal consists of a Chairman who is a retired judge of High Court and a member of the rank of Chief Engineer having special knowledge about roads and highways. On this constitution of Tribunal, it was observed that the Tribunal deals with multifarious subjects like law, urban development, infrastructure, housing, real estate, but the qualification to become member is restricted to engineering background only with the specialization in road and highways. Therefore it has been felt that member from other fields like Law, Town Planning, Industry and Management may also be included in the composition of the Tribunal.

In order to make above referred changes, amendment in the Section 12C(1) of the Punjab Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 will be required by substituting the existing provision with the following proposed provisions:-

> *"With effect from such date as the Government may, by notification, constitute a Tribunal consisting of (a Chairman who is a retired judge of the High Court) and two members. One of the member will be of the rank of Chief Engineer having special knowledge about roads and highways and the other member will be a professional from the fields like Law, Town Planning, Industry and Management, as may be decided by the Government. If the members of the Tribunal are divided over some matter, the decision of the Chairman of the Tribunal shall prevail".*

MANOHAR LAL
Chief Minister, Haryana

Chandigarh:
The 25th February, 2017.

R.K. NANDAL,
Secretary.

(प्राधिकृत अनुवाद)

2017 का विधेयक संख्या—4 एच. एल. ए.

पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा विधिमान्यकरण) विधेयक, 2017

पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित होः—

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम पंजाब अनुसूचित सडक तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जा सकता है।

1963 के पंजाब अधिनियम 41 की धारा 12ग का संशोधन।

2. पंजाब अनुसूचित सडक तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 की धारा 12 ग की उप–धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"(1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, अध्यक्ष, जो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत न्यायाधीश होगा तथा दो अन्य सदस्यों, जिनमें एक सड़कों तथा राजमार्गों के बारे में विशेष ज्ञान रखने वाले मुख्य अभियन्ता की पदवी का होगा तथा दूसरा सदस्य क्षेत्रों जैसे विधि, नगर आयोजना, उघोग, प्रबन्धन अथवा ऐसे अन्य क्षेत्र जो सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएं, से व्यवसायी होगा, से मिलकर बनने वाले अधिकरण का गठन करेगी। यदि अधिकरण के सदस्य किसी विषय पर विभाजित होते हैं, तो अध्यक्ष का निर्णय अभिभावी होगा।"।

निरसन तथा व्यावृति।

3. (1) पंजाब अनुसूचित सडक तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 5), इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

पंजाब अनुसूचित सडक तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 में, अधिनियम, 1963 की धारा 12 ग (1) में, अध्यक्ष जो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत न्यायाधीश हो तथा राजमार्गों के बारे में विशेष ज्ञान रखने वाले मुख्य अभियन्ता की पदवी के किसी सदस्य को मिलाकर एक अधिकरण गठित होगा। अधिकरण के इस, गठन पर, यह अवलोकित किया गया था कि अधिकरण, बहुविध मामलों जैसे कि विधि, शहरी विकास, अवसंरचनों आवासन, रियल एस्टेट का निपटान करता है, किन्तु सदस्य बनने के लिए योग्यता केवल सड़क तथा राजमार्गों में विशेष ज्ञान सहित अभियन्ता की भूमिका जो विनिश्चित करती है। इसलिए यह महसूस किया गया है कि अधिकरण में एक अन्य सदस्य जोकि विधि, नगर आयोजन, उद्योग, प्रबन्धन जैसे क्षेत्र से संबधित हो को अधिकरण का सदस्य बनाए जाने की आवश्यकता है।

उपरोक्त संदर्भित परिवर्तन को करने के उद्देश्य से, पंजाब अनुसूचित सड़कें तथा अनियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्वन्धन अधिनियम, 1963 की धारा 12 ग (1) में संशोधन की आवश्यकता है। तदानुसार वर्तमान की धारा 12 ग (1) की व्यवस्था के स्थान पर निम्नलिखित व्यवस्था को स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

> ''(1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, अध्यक्ष तथा दो अन्य सदस्यों से मिलकर बनने वाले अधिकरण का गठन करेगी, जिसमें अध्यक्ष, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत न्यायाधीश होगा तथा एक सदस्य सड़कों तथा राजमार्गों के बारे में विशेष ज्ञान रखने वाले मुख्य अभियन्ता की पद्वी का होगा तथा दूसरा सदस्य क्षेत्र जैसे विधि, नगर आयोजन, उद्योग, प्रबन्धन अथवा ऐसे अन्य क्षेत्रों से व्यवसायी होगा, जो सरकार विनिश्चित करे। यदि अधिकरण के सदस्य किसी विषय पर विभक्त होते हैं, तो अध्यक्ष का निर्णय अविभावी होगा।''।

मनोहर लाल
मुख्यमंत्री हरियाणा

.....

चण्डीगढ़:
दिनांक 25 फरवरी 2017,

आर. के. नांदल,
सचिव।

55060—H.V.S.—H.G.P., Chd.